न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती जीतू कुलहरी RAS)

प्रकरण/प्रार्थना पत्र/एल.आर. 136/मु0नं0 72/2024

जी0सी0एम0एस0 नम्बर 2024/135

1. शिवराज पुत्र हरदेव जाति बैरवा निवासी धांधों का खेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

—:निर्णय:—

निर्णय दिनांकः—23.09.2025

उपस्थितः— श्री धर्मवीर बामनियां अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना—पत्र साराक्षतः निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम कनेईखुर्द पटवार हल्का कनेईखुर्द, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072—2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 187 में दर्ज खसरा 928 रकबा 2.19 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.19 हैक्टयर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। जिसमें वर्तमान जमाबन्दी में सहवनवश/त्रुटि से प्रार्थी का नाम सोराज अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शिवराज है। अतः इस राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम सोराज के स्थान पर सही व सम्मान सूचक नाम शिवराज दर्ज कराकर राजस्व अभिलेख सही करवाये जाने का निवेदन जरिये प्रार्थना—पत्र किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार भिनाय को जवाब/रिपोर्ट पेश करने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिल—शुदा प्राप्त हुआ। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना—पत्र मय राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र में लिखित कथनों को दौहराते हुए, निवेदन किया गया कि ग्राम कनेईखुर्द पटवार हल्का कनेईखुर्द, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072—2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 187 में दर्ज खसरा 928 रकबा 2.19 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.19 हैक्टयर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। जिसमें वर्तमान जमावन्दी में सहवनवश/त्रुटि से प्रार्थी का नाम सोराज अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शिवराज है। अतः इस राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम सोराज

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

के स्थान पर सही व सम्मान सूचक नाम शिवराज दर्ज कराकर राजस्व अभिलेख सही किया जावें। प्रार्थी के ग्राम धांधो का खेड़ा पटवार हल्का कनेईखुर्द में स्थित अन्य खाता संख्या 133 में प्रार्थी का सही व सम्मानसूचक नाम शिवराज दर्ज है। अतः प्रश्नगत राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम सोराज के स्थान पर सही व सम्मान सूचक नाम शिवराज दर्ज कराकर अभिलेख को दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत तथा उचित है। अपनी बहस के समर्थन में प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशन–कार्ड, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, जॉब कार्ड तथा ग्राम धांधो का खेड़ा पटवार हल्का कनेईखुर्द में स्थित अन्य खाता संख्या 133 जिसमें प्रार्थी का सही नाम शिवराज है, संलग्न पत्रावली की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना–पत्र अनुसार कथन कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत आराजीयात वर्तमान में रूपा पत्नि हरदेव, राकरण, रामकिशन, रामदेव, श्योजी, सोराज पुत्र हरदेव के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी में स्वयं का नाम सोराज पुत्र हरदेव के स्थान पर शिवराज पुत्र हरदेव दुरूस्त करवाना चाहता है। संबंधित नायब तहसीलदार नागोला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सोराज पुत्र हरदेव व शिवराज पुत्र हरदेव एक ही व्यक्ति है। संलग्न संबंधित पटवारी पटवार हल्का कनेईकलां द्वारा अपनी रिपोर्ट में सोराज पुत्र हरदेव तथा शिवराज पुत्र हरदेव को एक ही व्यक्ति बताते हुए, मौका पर्चा व सम्मानसुचक नाम के आधार पर वांछित दुरूस्ती को उचित बताया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, जवाब तहसीलदार भिनाय, रिपोर्ट नायब तहसीलदार नागोला, संबंधित पटवारी की रिपोर्ट तथा मौका पर्चा प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशन–कार्ड, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, जॉब कार्ड तथा ग्राम धांधो का खेड़ा पटवार हल्का कनेईखुर्द में स्थित अन्य खाता संख्या 133 आदि का गहनता से अध्ययन तथा बहस उभयपक्षकार का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि–

–:आदेश:–

ग्राम कनेईखुर्द पटवार हल्का कनेईखुर्द, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 187 में दर्ज खसरा 928 रकबा 2.19 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.19 हैक्टयर भूमि में सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **सोराज पुत्र हरदेव** के स्थान पर **शिवराज पुत्र हरदेव** दुरूस्त किया जावे। **शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें।** तहसीलदार भिनाय द्वारा राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू कुल्हरि RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner